



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 654]
No. 654]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2007/ज्येष्ठ 10, 1929
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2007/JYAISTHA 10, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मई, 2007

आय-कर

का.आ. 855(अ).—आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा निदेश देता है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आय-कर महानिदेशक, जिनका मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट स्थान पर है, ऐसे भूभागीय क्षेत्र के अथवा ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों की श्रेणियों के अथवा ऐसी आय के या आय की श्रेणियों के अथवा ऐसे मामलों या मामलों की श्रेणियों के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जिनके संबंध में उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में तदनुरूपी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आय-कर निदेशक के पास क्षेत्राधिकार है।

अनुसूची

क्रम संख्या	आय-कर प्राधिकारियों का पदनाम	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आय-कर महानिदेशक (आसूचना), दिल्ली	नई दिल्ली	आयकर निदेशक (आसूचना), दिल्ली
2.	यह अधिसूचना राजपत्र के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।		

[अधिसूचना सं. 198/2007/फा. सं. 187/05/2007-आय-कर नि.-1]

दीपक गर्ग, अवर सचिव